न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 69/22

बसन्ती देवी पुत्री भूरया पत्नि प्रेमशंकर जाति बैरवा निवासी सीसवाली हाल निवासी बारां जिला बारां राज0।

...वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

..प्रतिवादी

वाद नाम दुरस्ती धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

पीठासीन अधिकारीः श्री रजत कुमार विजयवर्गीय(आरएएस)

वकिल वादीः श्री हरिओम प्रजापति

दायरा दिनांक 26.05.2022

निर्णय दिनांक 12.07.2022

प्रस्तूत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनी के आराजी खाता संख्या 394 की कुल किता 9 रकबा 6.21 हेक्टयर एवं खाता सं. 140 की रकबा 0.84 हेक्टयर वाकै ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां राज. मे स्थित है। जिसमे वादनी शामलाती खातेदार दर्ज है। वादनी का वास्तविक व समस्त राजकिय दस्तावेजात मे नाम बसन्ती देवी है लेंकिन वादनी के खाते की आराजी खाता सं0 394 व 140 मे वादनी का नाम बीसरी बाई गलत दर्ज हो रहा है जिसको वादनी दोनो खातो मे सही नाम बसन्ती देवी दर्ज कराना चाहती है अतः उक्त विवादित भमि के राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम बीसरी बाई के स्थान पर बसन्ती देवी दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तूत होने पर प्रकरण दिनांक 26.05.22 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिर्पोट हेतू लिखा गया । तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिर्पोट क्रंमाक राजस्व/2022/1049 दिनांक 24.06.22के अनुसार बीसरी बाई पुत्री भूरया उर्फ भोरीलाल व बसन्ती देवी वादनी के ही नाम है तथा वादनी का दोनो नामो से जाना जाता है दोनो नाम वादनी के ही है जो एक ही महिला के है अन्य

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

Scanned by CamScanner

अलग-अलग नही है । अतः राजस्व रिकार्ड मे उक्त नाम बीसरी बाई के स्थान पर वसन्तीदेवी उर्फ बीसरी बाई सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिर्पोट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादनी स्वयं एवं मथरीबाई पुत्री भैरया जाति बैरवा निवासी सीसवाली के आधार पर आराजी खाता संख्या 394 की कुल किता 9 रकबा 6.21 हेक्टयर एवं खाता सं. 140 की रकवा 0.84 हेक्टयर वाकै ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां की राजस्व जमाबंदी मे दर्ज वादनी का नाम **बीसरी बाई के स्थान पर बसन्तीदेवी उर्फ बीसरी बाई** दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ-साथ यदि वादनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो तो उसके लिये वादनी स्वयं जिम्मेदार होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

(श्री रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner